16'/23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।
वाद वापसी स्वीकार किया गया। जिसके पृथक से
लिखवाया जाकर द0प0 किया गया। पत्रावली फैसल
शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर होवे।

(signature)

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड़

मुकदमा नम्बर / दावा / 433 / 13 तारीख दायरा 06.02.13

अमरलाल आ0 नन्दा जाति भील अस्वस्थ मस्तिष्क जर्ये वली नेक्स्ट फ्रेंड नरेश पुत्र अमरलाल जाति भील निवासी झालावाड .. वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये कलक्टर सा0 झालावाड़
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार झालरापाटन .. प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92 ए, 188, 209 राज0 टीनेन्सी एक्ट 1955**

**उपस्थित :–**

1. श्री सूर्य प्रकाश, अभिभाषक वादी
2. पेरोकार सरकार

**–:: निर्णय ::–**

दिनांक 16 जनवरी 2023

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम गोपालपुरा तहसील झालरापाटन की जमाबन्दी संख्या 2033 लगायत 36 खसरा नम्बर 167 रकबा 3 बीघा, खसरा नम्बर 168 रकबा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 175 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा , खसरा नम्बर 188 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा कुल किता–4 कुल रकबा 6 बीघा 09 बिस्वा भूमि वादी के पिता नन्दा आ0 बाला के खाते दर्ज है । उक्त आराजी का सेटलमेंट होने पर हाल खसरा नम्बर 90 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा बना जिसे गलत तौर से धारा 175–177 राज0 टीनेन्सी एक्ट 1955 के तहत उक्त आराजियात को खाता सरकार दर्ज कर दिया । यह निर्णय विधि विरूद्व किया गया है । वादी अमरलाल अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति है जो अपने पुत्र नरेश की विलायत संरक्षता में रह रहा है जो अमरलाल का वली है । वादी उसकी विलायत में वाद पेश कर रहा है । उक्त आराजी को राजस्थान सरकार के खाते दर्ज किये जाने के बाद भी नन्दा आ0 बालकिशन को बेदखल नहीं किया गया एवं नन्दा आ0 बाला को उनके जीवनकाल तक काश्त करते आये एवं उनके देहावसान के बाद उक्त आराजी को वादी लगातार काश्त करता चला आ रहा है जिस कारण वादी उक्त आराजी खसरा नम्बर 90 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा ग्राम गोपालपुरा को अपने खाते घोषित करा पाने का पात्र है । अतः वादी को आराजी खसरा नम्बर 90 रकबा 7 बीघा 15

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़

बिस्वा ग्राम गोपालपुरा तहसील झालरापाटन का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जावे एवं वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आश्य की निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे कि उक्त आराजी से वादी बेदखल नहीं करें एवं मदाखलत व मजाहमत बैजा न करें न अन्य किसी से करावें ।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी नम्बर –2 ने अपने जवाब/रिपोर्ट में अंकित किया है कि यह भूमि गैर खातेदारी में दर्ज थी । खसरा नम्बर 167 रकबा 3 बीघा, खसरा नम्बर 168 रकबा 0.10 बिस्वा, खसरा नम्बर 175 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 188 रकबा 1बीघा 03 बिस्वा कुल रकबा 6.09 बिस्वा भूमि गैरखातेदारी में दर्ज थी । लेकिन इसका हाल खसरा नम्बर 90 नहीं बना बल्कि गत खसरा नम्बर 90 से नवीन नम्बर बने हैं । न्यायालय के निर्णय की पालना में भूमि सरकारी दर्ज की गयी है । वर्तमान में खसरा नम्बर 90 का रकबा 7.15 बीघा न होकर 0.06 बीघा है यह वादी के खाते दर्ज योग्य नहीं है । वर्तमान में खसरा नम्बर 90 का रकबा 7.15 बीघा नहीं है । रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक 27.7.2022 अनुसार खसरा नम्बर 167 रकबा 0.7587 हैक्टेयर भूमि न्याय विभाग (राजकीय आवास निर्माण हेतु) आवंटन हो गई है । एवं खसरा नम्बर 501/168 रकबा 0.0885, खसरा नम्बर 502/168 रकबा 0.0379 गैर मु0 रास्ता एवं खसरा नम्बर 175 रकबा 0.4552 है0 भूमि खाता सरकार दर्ज है । वाद के निस्तारण हेतु दावें एवं जवाब दावे के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई :–

1. आया वादी आराजी खसरा नम्बर 90 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा वाके गोपालपुरा तहसील झालरापाटन को दावे में की गई प्लाडिंग के आधार पर अपने खाते घोषित करा पाने का पात्र है । .. वादी
2. आया दावा काबिल खारिजी है । .. प्रतिवादी
3. आया वादी स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पाने का पात्र नहीं है । .. प्रतिवादी
4. सहायता

वादी ने अपने वाद के समर्थन मे नि–शक्तता प्रमाण पत्र, रजिस्टर्ड नोटिस, डाक घर की रसीद, जमाबन्दी संख्या 2033–36 खाता संख्या 52 मिलान क्षेत्रफल, आदेशिका दावा एवं नामान्तरण नम्बर 46 वादी के पुत्र नरेश का शपथ पत्र मुख्य परीक्षण पेश किया ।

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़

हमने बहस वकील वादी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं पेरोकार सरकार को सुना । पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया । तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है :–

**तनकी नम्बर–1** इस तनकी को सिद्व करने का भार वादी पर था । इसके समर्थन में वकील वादी द्वारा लिखित बहस में कथन किया कि वादी ने घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु 6.2.13 दावा पेश किया था जिसमें सुधार हेतु एक आवेदन पत्र दिनांक 13.7.2022 को संशोधन हेतु पेश किया था जिसमें वर्तमान खसरा का उल्लेख किया था तत्पश्चात वादी ने एक स्पष्टीकरण 29.8.22 को पेश कर बताया कि वादी का दावा कानूनी प्रावधानों के तहत यहीं निर्णित होना है । आदेश –8 नियम 1 (अ) (3) के अनुसार विक्रयपत्र दिनांक 27.11.79 को रेकार्ड पर लिया जाना न्याय हित में उचित है एवं उक्त विक्रय पत्र प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य है । उपरोक्त तथ्यों को सिद्व करने के लिए न्यायलय निर्णय की प्रति गजानन बनाम राधेश्याम 80/10 की प्रति की प्रति भी न्यायालय के समक्ष पेश की गई जिसमें समान तथ्यों में श्रीमान् अपर जिला न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में निर्णय लिया है उसके परिप्रेक्ष्य अवैध बैचान का शून्य मानकर प्रार्थी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने के आदेश हुए हैं । अतः वाद स्वीकार फरमाया जावे । इस पर पेरोकार सरकार ने तर्क दिया कि यदि गलत तरीके से खाता सरकार दर्ज हो गई थी तो वादी को नये सिरे से आवंटन के लिए आना चाहिए था जो वादी द्वारा नहीं किया गया गया है । वादी द्वारा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 175–177 के अन्तर्गत हुए फैसले की प्रति भी सलंग्न वाद पत्र पेश नहीं की है जिससे स्थिति स्पष्ट नहीं है । साथ ही वादी आराजी का अपना कब्जाकाश्त होना जाहिर करता है जिसके सम्बन्ध में गिरदावरी रिपोर्ट वादपत्र में पेश नहीं की गई । वादी को विक्रय पत्र के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में जाना चाहिए था लेकिन वादी ने ऐसा नहीं किया जिस कारण किसी प्रकार की राहत दिया जाना उचित नहीं है । वकील वादी ने मा0 राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 23.4.2010 गजानन्द बनाम गुलाब वगै0 की प्रति पेश की है जिससे भी स्पष्ट है कि वादी को 175–177 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत की गई कार्यवाही की अपील सक्षम न्यायालय में तत्समय प्रस्तुत करनी चाहिए थी जो नहीं की गई है । उपरोक्त विवेचन के आधार पर इस तनकी का निर्णय विरूद्व वादी बहक प्रतिवादी किया जाता है ।

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़

**तनकी नम्बर–2** इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था जिसका विवेचन तनकी संख्या एक के निर्णय में किया जा चुका है । अतः इस तनकी का निर्णय विरूद्व वादी, बहक प्रतिवादी किया जाता है ।

**तनकी नम्बर–3** इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था । चूंकि तनकी संख्या–1 व तनकी संख्या–2 का निर्णय विरूद्व वादी किया जा चुका है । वादी अपने वाद को साबित करने में असफल रहा है ऐसी स्थिति में अन्तर्गत धारा 188 राज0टीनेन्सी एक्ट के तहत किसी भी प्रकार से स्थायी निषेधाज्ञा पाने का पात्र नहीं है । इस तनकी का निर्णय भी विरूद्व वादी एवं बहक प्रतिवादी किया जाता है ।

**तनकी संख्या–4** उपरोक्त तनकीयात के निर्णय विरूद्व वादी होने से न्यायालय वादी को किसी प्रकार की सहायता/अनुतोष देना उचित नहीं समझता है । उपरोक्त तनकीयात के विवेचन के आधार पर वाद वादी साबित नहीं है । वाद वादी खारिज किये जाने योग्य है । अतः वाद वादी खारिज किया जाता है । फर्द डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 16.01.23 को हमाने द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी,
झालावाड़

फर्द डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़

**पीठासीन अधिकारी :– उपखण्ड अधिकारी झालावाड**

अमरलाल आ0 नन्दा जाति भील अस्वस्थ मस्तिष्क जर्ये वली नेक्स्ट फ्रेण्डस नरेश पुत्र अमरलाल जाति भील निवासी झालावाड़ .... वादी

**बनाम**

1.राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर सा0 झालावाड़
2.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झालरापाटन ... प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,91, 94 ए,188, 209 राज0 टीनेन्सी एक्ट

प्रकरण संख्या 433 / दावा / 13
तारीख दायरा 06.02.2013

यह मुकद्मा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ बइजलास मनीषा तिवारी आर.ए.एस. मिनजानिब रूबरू वकील वादी श्री सूर्यप्रकाश, प्रतिवादी पेरोकार सरकार मुद्धालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि :– वाद वादी साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है ।

आज तारीख 16.01.2023 को मैरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी झालावाड़

| मुद्दई | रूपये | पैसे | मुद्धालय | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महन्ताना वकील | | |
| महन्ताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमीश्नर | | |
| फीस कमीश्नर | | | बाबत इजराय हुक्मनामा | | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | | | मुतफर्रिक | | |
| मुतफर्रिक | | | मीजान | | |
| मीजान | | | | | |